न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024/306
दायरा तिथि : 14.08.2024
आदेश तिथि : 23-04-2025
प्रार्थी :–

श्री शिवलाल पुत्र भूताजी परमार जाति घांची निवासी खिवान्दी तहसील सुमेरपुर

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 23-04-25

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टे. पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 973 रकबा 0.3600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टे. पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 960 रकबा 1.7000 हैक्टर, खसरा नंबर 962 रकबा 0.7700 हैक्टर, खसरा नंबर 966 रकबा 0.2600 हैक्टर व खसरा नंबर 972/1348 रकबा 0.7000 में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2025/774 दिनांक 19.03.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि आवेदक खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में आवेदक खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतू मौके पर इन्ही खसरों में से चल रहे रास्ते से आना–जाना करता है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता सडक अथवा कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का ही है। इससे कम दुरी का विकल्प आस–पास पहाडी भूमि होने से उपलब्ध नहीं है।
3. यह है कि मौके पर रास्ता प्रचलित है, और इसी मार्ग से आवागमन होता है।
4. यह है कि ग्राम मोरी बेडा स्टे. में रास्ते हेतू प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	960	1.70 हैक्टर	बारानी दोयम	120X09= 1080 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2	972/1348	0.20 हैक्टर	बारानी दोयम	60X9= 900 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

नोट:– खसरा नंबर 960 व 972/1348 के मध्य खसरा नंबर 962 व 966 गै.मु. नाले स्थित है, जिसमें से बारिश के समय में आस–पास के खेतों के पानी की निकास होती है। वर्तमान में उक्त नाला सुखा पडा है। उक्त नाले में कोई अवरोध न हो इस संबंध में आवेदक से शपश पत्र लिया जाना अपेक्षित है।

5. यह कि भू–अभिलेख निरीक्षक, बेडा की जांच रिपोर्टनुसार प्रस्तावित खसरा की डी.एल.सी. दर 160000रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।

8. प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर कोई भी निर्माण कार्य, ढाणी, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है ।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/306

अनवान शिवलाल बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टे. पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 973 रकबा 0.3600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/774 दिनांक 19.03.2025 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉक:प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टे. पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 973 रकबा 0.3600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टे. पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 960 रकबा 1.7000 हैक्टर व खसरा नंबर 972/1348 रकबा 0.20 हैक्टर में से **1080+540=1620 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 160000 /–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
960	1.70 हैक्टर	120X09= 1080 वर्गमीटर	16	17280 X2=34560	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
972/1348	0.20 हैक्टर	60X9= 540 वर्गमीटर	16	14400 X2=28800	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 63360/– (अक्षरे त्रेसठ हजार तीन सौ साठ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

ग्राम मोरी बेडा स्टे. के खसरा नंबर 960 व 972/1348 के मध्य खसरा नंबर 962 व 966 गै.मु. नाला जिसमें से बारिस के समय में आस पास के खेतों के पानी की निकासी होती है जो वर्तमान में सूखा पडा है। उक्त नाले में बिना जल संसाधन विभाग की अनापत्ति एवं सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता एवं किसी भी प्रकार की संरचना जो जल प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करें उसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। इन निर्देशों की अनुपालना में प्रार्थी ने शपथ पत्र पेश किया है। तहसीलदार बाली उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/306

अनवान शिवलाल बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्रमॉक/कोर्ट/2025/382-386 दिनांक : 23-04-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री शिवलाल पुत्र भूताजी परमार जाति घांची निवासी खिवान्दी तहसील सुमेरपुर को सूचनार्थ।

कार्यालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 17/03/2025 10:49:20 PM

जिला : पाली

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : बेडा

पटवारी हल्का : दूदनी

ग्राम : मोरी बेडा स्टेशन

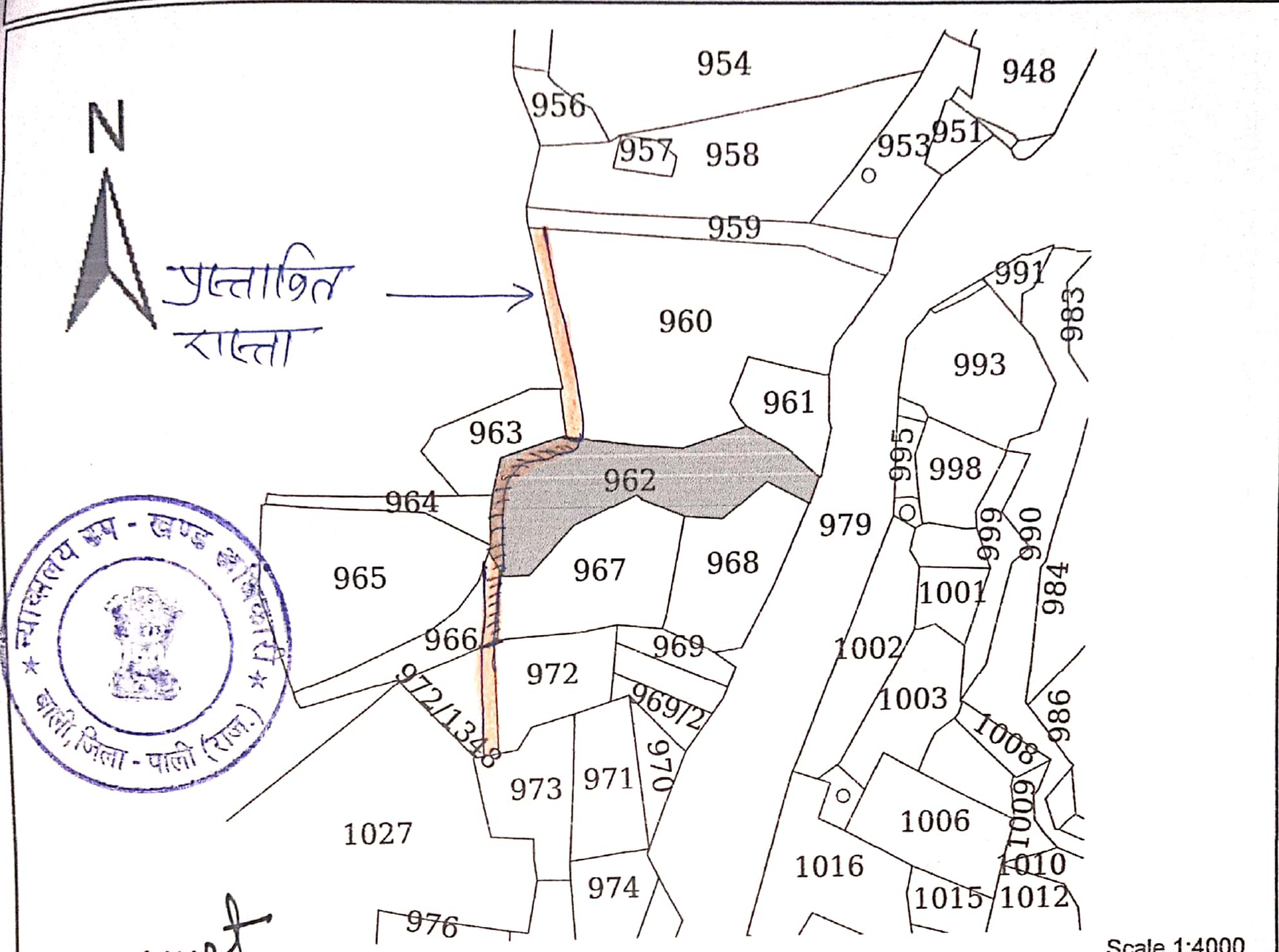

Scale 1:4000

Ex-court

खसरा संख्या :962 क्षेत्रफल : 0.7700 Hectare खाता संख्या : 1पुराना खाता संख्या :1

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: गै.मु.नाला [0.7700]

राज. सरकार

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

Scanned with CamScanner